आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आर्म्स अपीलवाद संख्या–103/2024

संजीव कुमार सिंह, पिता–स्व0 राम नारायण सिंह।

बनाम

बिहार सरकार व अन्य।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, 1.श्री निवास सिंह एवं 2. प्रफुल्ल रंजन

प्रतिवादी की तरफ से :–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **21.10.2024**	**प्रस्तुत अपीलवाद की सुनवाइ इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *CWJC No.18654/2023* में दिनांक–*15.03.2024* को पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–28.05.2024 को दाखिल वाद के क्रम में प्रारंभ की गई है।** वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी, संजीव कुमार सिंह, पिता–स्व० राम नारायण सिंह, निवासी ग्राम–काला डुमरा, थाना–जी० बी० नगर, जिला–सिवान अनुज्ञप्ति सं०–43/90 (D.B.B.L Gun) को धारित करते थे। शस्त्र वर्ष 2005 में इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि इनके द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई शपथ–पत्र दाखिल नहीं किया गया कि इनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है। जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत रद्दीकरण आदेश ज्ञापांक–1240/सी०, दिनांक–06.04.2005 के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय में शस्त्र अपील वाद सं०–116/2008 दाखिल किया गया। उक्त शस्त्र अपील वाद को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–13.05.2008 द्वारा निम्न *Observation* के साथ रिमाण्ड किया गया। *"After Cancellation of above Arms License, Arms deposited or not by the appellant, shall be examined by the lower court thoroughly and with this observation appeal petition is disposed off."* तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान के समक्ष	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दाखिल आवेदन पर शस्त्र वाद सं०–22/2008–09 प्रारंभ किया गया, जो दिनांक–02.01.2014 को Default में खारिज हो गया। इसके बाद आवेदक द्वारा पुनः दिनांक–28.11.2014 को रद्द अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। जिस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा विविध शस्त्र वाद सं० 14/2014–15 प्रारंभ की गई एवं दिनांक–23.02.2024 को अंतिम रूप से निष्पादित करते हुए उक्त विविध शस्त्र वाद को खारिज कर दी गई। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया। जिसके निष्पादन के क्रम में निदेश के आलोक में इस स्तर पर मामलें की सुनवाई प्रारंभ की गई।

माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निम्नवत् है।

"If any appeal is preffered, the same shall be decided by the appellate authority within a period of six months from the date of communication of this order."

उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के प्रारंभ में इस बात को प्रमुखता से कहा गया कि वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा कोई शस्त्र धारण नहीं किया जा रहा है, एवं उनके DBBL Gun की अनुज्ञप्ति रद्द होने के संबंध में न तो इनसे कारण–पृच्छा की गई और न इन्हें कोई नोटिस किया गया इसलिए इनके द्वारा अपना बन्दुक जमा नहीं कराया जा सका एवं जिसका मुख्य कारण अनुज्ञप्तिधारी का बीमार होना कहा गया। फिर भी अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008 में "पाली गन हाउस" सिवान में शस्त्र जमा करा दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला किसी थाना या न्यायालय में दर्ज नहीं है एवं आत्म सुरक्षा के लिए उनको निर्गत अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाना चाहिए। इनका आगे कहना है कि अपीलार्थी कभी भी स्वेच्छा से जिला दंडाधिकारी के समक्ष सुनवाई में अनुपस्थित नहीं रहें है बल्कि न्यायालय की बैठक नियमित रूप से नहीं चलने के कारण उनके केश की सुनवाई नहीं हो सकी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलार्थी एक Progressive Farmer है एवं इनका कृषि से संबंधित व्यवसाय भी है इसी सिलसिले में वे अक्सर बाहर की यात्रा करते है जिससे वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और इनका केश Default में खारिज कर दिया गया। जिला दंडाधिकारी का आदेश कानून के विपरीत है इसलिए इसे निरस्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा जिला दंडाधिकारी के

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश का समर्थन करते हुए इसे यथावत रखने पर जोर दिया गया।

वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के गहन परिशीलन एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2005 में ही रद्द हो गई थी परन्तु रद्दकीरण के पश्चात् भी इनके द्वारा शस्त्र को पुलिस थाना या शस्त्र विक्रेता के यहाँ जमा न कर अवैध रूप से स्वयं अपने पास रखे रहे और वर्ष 2008 में शस्त्र विक्रेता के यहाँ जमा किए, जबकि शस्त्रधारी को समय–समय पर शस्त्र अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेशानुसार शस्त्र का सत्यापन का प्रावधान है। निश्चित रूप से अनज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश का अनुपालन नहीं करना शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करना है। अपीलार्थी का यह आचरण शस्त्र अधिनियम के शर्तो का उल्लंधन भी है। इतना ही नहीं ऐसी स्थिति के लिए बीमारी का बहाना सिर्फ "After thought' माना जा सकता है। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व न तो इनसे कारण–पृच्छा की गई और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया, इस तर्क में भी विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि जिला दंडाधिकारी के स्तर से आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना में अंकित निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना पूर्णतः शस्त्र अधिनियम के शर्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत पक्ष रखने का मौका देने का भी अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर पत्र नही लगाया गया है। इसी कारण दस्तावेज के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है, जो सुस्पष्ट एवं मुखर है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। दूसरी तरफ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी जिला दंडाधिकारी के आदेश में ऐसे कोई त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे की उक्त आदेश में इस स्तर से हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.02.2024 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील को **खारिज** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। *लेखापित एवं संशोधित* आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL